भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 1472

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

झारखंड में शौचालयों के निर्माण के लिए आवंटन

1472. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा या केन्द्रीय सरकार की निधियों से झारखंड में वर्ष 2017–18 के दौरान कितने शौचालय निर्मित किए गए हैं;
(ख) इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उपर्युक्त शौचालयों में से कितने शौचालयों में पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है;
(घ) क्या इन शौचालयों को पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान झारखण्ड में 12,03,836 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है जिसका निधियन पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 है।

(ख) एसबीएम (जी) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान झारखण्ड में भारत सरकार द्वारा 698.66 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई है।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे कार्यालय की स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट, 2016 के अनुसार, झारखण्ड में शौचालय युक्त ग्रामीण परिवारों के 84% के पास शौचालयों में प्रयोग हेतु जल उपलब्ध है।

(घ) और (ड़) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, हाथ धोने और सफाई हेतु जल भंडारण सहित जल उपलब्ध कराने हेतु वैयक्तिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया गया है। एसबीएम (जी) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) दिशा-निर्देशों में भी स्वच्छता के कार्यों के लिए अधिकतम जल उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता एवं जल के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तालमेल अपनाने का उल्लेख है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत नल जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है।